


क्रमांक: आरएफसी/एसबी/एसीआर/3/ 637

दिनांक: 11.01.2017
18

परिपत्र

विषय: अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

निगम में कार्यरत समस्त अधिकारी जिनकी ग्रेड पे रूपये 4200/- या अधिक है, को निर्देशित किया जाता है कि वे अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016 के लिये (01.01.2017 की स्थिति में) संलग्न सम्पत्ति विवरण प्रपत्र में आवश्यक रूप से दिनांक 27.01.2017 तक उपमहाप्रबन्धक (का एवं प्र) को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । पत्र क्रमांक प.13 (76) का/क-1/गो.प्रे./2011 दिनांक 04.01.2017 शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्रे.) विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अचल सम्पत्ति के विवरण के अभाव में उनकी विजिलेंस क्लीयरन्स नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं आगामी एक जुलाई को दी जाने वाली वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा ।


-(संजय शर्मा)
कार्यकारी निदेशक

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि

1. समस्त शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम ।
2. समस्त महाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक ।
3. मुख्यालय में मानक परिचालन ।

वर्ष (01 जनवरी..... को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1 अधिकारी का नाम तथा पद जिससे यह संबंधित है :-		3 किस सेवा संवर्ग से है :-		5 जन्म तिथि :-		
2 वर्तमान में धारित पद :-		4 वर्तमान वेतन :-				
उस जिले उप-एचक तहसील तथा गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमी अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके नाम से धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पड़े दूया या बंधक उत्तरदायिताद दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई है तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर

दिनांक